

215

अप्र 21/02-18 न्यायालय माननीय कलेक्टर महोदय भिण्ड (म.प्र.)

प्र.क्र. 1/17-18 क्रि. निगरानी-3275/2018/भिण्ड/भू.र.

राजाबेटी विरुद्ध तेज सिंह  
क्र. 29/5/18  
प्रारम्भिक तर्क हेतु  
7-6-18 नियत।  
बचक ऑफ कोर्ट  
राजस्य मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

धर्मेन्द्र जाटाव पुत्र तेज सिंह उम्र 21 वर्ष जाति जाटव पेशा कृषि निवासी अड्डपुरा वृत्त देहगांव परगना गोहद जिला भिण्ड

.....निगरानीकर्ता

बनाम

1. श्रीमती राजाबेटी पत्नी तेज सिंह उम्र 56 वर्ष जाति जाटव पेशा गृहकार्य निवासी अड्डपुरा तहसील गोहद निवासी अड्डपुरा परगना गोहद जिला भिण्ड (म.प्र.)

.....असल रेस्पोंडेंट

2. तेज सिंह पुत्र मगने उम्र 56 वर्ष जाति जाटव पेशा कृषि निवासी अड्डपुरा वृत्त देहगांव परगना गोहद जिला भिण्ड म.प्र.

.....तरतीबी रेस्पोंडेंट

अप्र 21/02-18  
निगरानी विरुद्ध आदेश दिनांक 16.05.2018 अतंगत प्र.क्र. 8/15-16 अ 6 राजाबेटी बनाम तेज सिंह न्यायालय नायब तहसीलदार वृत्त देहगांव तहसील गोहद जिला भिण्ड म.प्र.

माननीय महोदय,

निगरानीकर्ता की निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है-

संक्षिप्त तथ्य



- यह कि बांके मौजा अड्डपुरा वृत्त देहगांव पर. गोहद जिला भिण्ड म.प्र. में निगरानीकर्ता के पिता रेस्पोंडेंट क्र. 2 के स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि आराजी क्र. 104 रकवा 1.33 हेक्टर भूमि स्थित है जिसमें रेस्पोंडेंट क्र. 2 द्वारा रेस्पोंडेंट क्र. 1 के हक में नुमाइशी बयनामा दिनांक 11.02.1994 को बिना प्रतिफल के 0.76 विस्वा भूमि का बयनामा संपादित कर दिया है तथा उक्त बयनामे में यह उल्लेख है कि विक्रीत भूमि में रेस्पोंडेंट क्र. 1

3

## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3275/2018/भिण्ड/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी नायब तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 27.3.19 को कलेक्टर, जिला भिण्ड के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: center;">    <b>प्रशासकीय सदस्य</b> </p>	